उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 11.04.2025

यू0पी0सी0एल0 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ आदेश – वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28

मुख्य बिन्दु

1. यू0पी0सी0एल0 द्वारा पांचवी नियंत्रण अवधि (Fifth Control Period) वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु व्यवसाय योजना पर अनुमोदन एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 (बहु वर्षीय टैरिफ याचिका) के लिए टैरिफ निर्धारण जिसके वित्तीय वर्ष 2023–24 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुये दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई।

2. यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 13.50% वितरण हानि को ध्यान में रखते हुए रू0 12512.38 करोड़ का कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) आंकलित की गयी थी, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वहन लागत सहित सहीकरण (truing up) सहित रू0 1341.96 करोड़ का कुल राजस्व अंतर (Gap) प्रस्तावित किया गया। इस राजस्व अंतर की वसूली के लिए, यूपीसीएल ने लगभग 12.01% की टैरिफ वृद्धि का अनुरोध किया था। PTCUL/SLDC एवं UJVN Ltd. द्वारा प्रस्तावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कुल टैरिफ वृद्धि 29.23% प्रस्तावित की गयी। (जिसमें UPCL 12.01%, PTCUL 12.07%, एवं UJVN Ltd. 5.15% है।)

3. आयोग ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2025 के द्वारा व्यासी जल विद्युत परियोजना की पूंजीगत लागत और टैरिफ अनुमोदित किया गया है। यूजेवीएनएल द्वारा यूपीसीएल से वसूला जाने वाला कुल बकाया रू0 278.64 करोड़ (जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त वृद्धि 2.54%) है।

4. आयोग ने UJVN Ltd. के मामले में उर्जा विकास निधि (PDF) से निवेश की गई इक्विटी पर अंशपूंजी पर लाभांश (Return on Equity) की अनुमति देने के लिए APTEL के फैसले का अनुपालन करते हुए पिछले अवधि के अंशपूजी पर लाभांश (Return on Equity) को अगले तीन वर्षों में वसूलने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 पर इसका प्रभाव रू0 248.73 करोड़ (2.26% की अतिरिक्त वृद्धि) है। जिसके फलस्वरूप, आयोग ने उर्जा विकास निधि (PDF) से PTCUL में पिछले अवधि के निवेश पर अंशपूजी पर लाभांश (Return on Equity) को भी अगले तीन वर्षों में वसूलने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 पर इसका प्रभाव रू0 78.56 करोड़ (0.72% की अतिरिक्त वृद्धि) है।

5. **इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के संवीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः–**

a) वित्तीय वर्ष 2023–24 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up)।
b) पांचवी नियंत्रण अवधि (Fifth Control Period) वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु व्यवसाय योजना पर अनुमोदन
c) वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए टैरिफ निर्धारण।

6. यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 11576.05 करोड़ निर्धारित किया गया है। उपरोक्त एआरआर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम सहीकरण (truing up) के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 15122 एमयू की अनुमानित बिक्री पर मौजूदा टैरिफ पर राजस्व का अनुमान रुपये 10985.39 करोड़ आंकलित किया गया है। जिससे रू0 590.66 करोड़ का राजस्व अंतर शेष रह गया।

7. उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकता रू0 11576.05 करोड़ एवं 15122 एमयू की अनुमानित विक्रय के आधार पर आपूर्ति की औसत लागत रू0 7.66/KWh होती है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुमोदित आपूर्ति की औसत लागत रू0 7.27/KWh थी।

8. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26, वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए क्रमशः 12.75%, 12.25% एवं 11.75% वितरण हानि अनुमोदित की गयी। स्वीकृत बिक्री और वितरण हानि पर विचार करते हुए, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल ऊर्जा आवश्यकता 18004 एमयू आंकलित की गयी।

9. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च (RPO एवं जल कर को सम्मिलित करते हुए)	7727.70	7539.52
2.	यूजेवीएन लि0 बकाया/(अधिशेष)		613.46
3.	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	782.97	720.61
	पिटकुल एवं एस0एल0डी0सी0	392.02	562.87
4.	ऋण पर ब्याज	321.22	175.12
5.	मूल्य ह्रास	240.75	180.19
6.	O&M व्यय	1089.09	898.73
7.	स्मार्ट मीटर OPEX खर्चे	240.57	167.24
8.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	151.14	124.85
9.	लाभांश	297.38	227.62
10.	अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	111.70	109.85
11.	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**11354.54**	**11320.06**
12.	घटायाः गैर टैरिफ आय	302.74	382.20
13.	सहीकरण का प्रभाव अन्तर/(अधिशेष)	1460.58	638.19
14.	**शुद्ध राजस्व आवश्यकता**	**12512.38**	**11576.05**

प्रभाव विश्लेषण	धनराशि (Rs. Crore)	प्रभाव (%)
PDF (UJVNL)	248.73	2.26%
PDF (PTCUL)	78.56	0.72%
Vyasi (Arrears)	278.64	2.54%

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दुः

a) आयोग ने टैरिफ में मात्र 5.62% की वृद्धि की गयी है, जबकि UPCL द्वारा लगभग 12.01% की टैरिफ वृद्धि एवं समस्त बिजली कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 29.23% प्रस्तावित की गयी थी। उक्त टैरिफ में वृद्धि के फलस्वरूप UPCL वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू0 27.09 करोड़ के अधिशेष के साथ संपूर्ण स्वीकृत ARR की वसूली करने में सक्षम होगा। आयोग द्वारा इस अधिशेष को आपातकालीन परिस्थितियों में बिजली खरीद की अंतर लागत को पूरा करने के लिए रखा है।

b) आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रास–सब्सिडी को कम किया जा सके।

c) आयोग ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों (आरटीएस–4ए, कृषि संबद्ध गतिविधियों को छोड़कर) में मौजूदा Demand Charges में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

d) बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग 4.64 लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 17%) के टैरिफ में मामूली 10 पैसा/kWh की वृद्धि की गयी है।

e) स्नोबाउंड घरेलू मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) में 10 पैसे की मामूली वृद्धि, 1 किलोवाट तक उपभोग करने वाले स्नोबाउंड गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे की वृद्धि, 1 किलोवाट से अधिक 4 किलोवाट तक उपभोग करने वाले स्नोबाउंड गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे की वृद्धि तथा 4 किलोवाट से अधिक उपभोग करने वाले स्नोबाउंड गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे की वृद्धि की गयी है।

f) आयोग द्वारा 100 यूनिट/माह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 25 पैसे की मामूली वृद्धि, 101 से 200 यूनिट/माह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे की वृद्धि, 201 से 400 यूनिट/माह और 400 यूनिट/माह से अधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 45 पैसे की वृद्धि तथा एकल बिन्दु थोक आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति kVAh की वृद्धि की गयी।

g) राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निर्दिष्ट क्रॉस सब्सिडी को +/– 20% के भीतर रखने के लिए घरेलू श्रेणी के लिए टैरिफ में वृद्धि आवश्यक थी।

घरेलू श्रेणी की क्रॉस सब्सिडी 19.63% है जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निर्दिष्ट +/– 20% की सीमा के भीतर है। घरेलू श्रेणी के सबसे निचले स्लैब के लिए टैरिफ को औसत आपूर्ति लागत के 80% पर रखने के लिए, टैरिफ को 100 यूनिट खपत के लिए रु0 3.65/ kWh के वर्तमान अनुमोदित टैरिफ के सापेक्ष रू0 6.13/ kWh तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। घरेलू श्रेणी के लिए 19.63% पर समग्र क्रॉस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, उच्च स्लैब के लिए टैरिफ को अधिक रखा गया है।

h) अधिनियम और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार क्रॉस सब्सिडी को धीरे–धीरे कम करने के उद्देश्य से आयोग ने PTW श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) रू0 2.55/kWh से वृद्धि कर रू0 2.70/kWh किया गया है।

   सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ आदर्श रूप से राष्ट्रीय टैरिफ नीति के तहत निर्दिष्ट आपूर्ति की औसत लागत के +/– 20% के बैंड के भीतर होना चाहिए। PTW श्रेणी के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के 80% पर रखने के लिए, टैरिफ को रू0 6.13/kWh रखा जाना है। इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप अचानक टैरिफ वृद्धि होती, इसलिए PTW के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत से 62.60% कम रखा गया है, जबकि पिछले आदेश में आपूर्ति की औसत लागत से 63.70% कम था।

i) आयोग ने UPCL को वितरण हानि के लिए मासिक डिवीजनवार लक्ष्य, ओएंडएम व्यय के लिए बजट और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पूंजीगत व्यय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि हानियों में कमी सहित लाइसेंसधारी की परिचालन दक्षता बढ़ाये जाने के उद्देश्य के लिए यूपीसीएल के प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जा सके।

j) आयोग ने अल्पकालिक स्रोतों के माध्यम से बिजली खरीद को कुल बिजली खरीद आवश्यकता के 5% पर प्रतिबंधित कर दिया है।

k) आयोग ने सौर वॉटर हीटर की छूट को प्रत्येक 50 लीटर क्षमता के लिए रू0 75 रखा है।

l) आयोग ने डिजिटल मोड के माध्यम से बिजली बिलों के भुगतान के लिए त्वरित भुगतान छूट को 1.5% और किसी अन्य मोड के माध्यम से बिजली बिलों के भुगतान के लिए 1% यथावत् रखा गया है। इसके अलावा, बिल धनराशि के सापेक्ष किए गए आंशिक भुगतान पर कोई छूट लागू नहीं होगी।

m) आयोग ने पीक ऑवर सरचार्ज को सामान्य टैरिफ के 130% के बराबर और ऑफ पीक ऑवर रिबेट को सामान्य घंटे के टैरिफ के 25% के बराबर बनाए रखा है।

n) स्वीकृत लोड ≤ 75 किलोवाट वाले एलटी उद्योग के लिए मांग प्रभार, संपूर्ण दर्ज मांग पर एचटी उद्योग की अनुमोदित दर के साथ वसूला जाएगा, यदि दर्ज मांग किसी भी बिलिंग महीने में 100 kVA से अधिक है।

o) निर्माण उद्देश्यों के लिए अस्थायी आपूर्ति के लिए लगाए जाने वाले टैरिफ के बारे में अस्पष्टता को दूर किये जाने हेतु आयोग ने घरेलू/आवासीय निर्माण को छोड़कर सभी प्रकार के निर्माण उद्देश्यों के लिए अस्थायी विद्युत आपूर्ति की दर रू0 9.50/kWh अनुमोदित की है, जिसके लिए आरटीएस–1 प्लस 25% दर लागू होगी।

p) आयोग ने आरटीएस–4एः कृषि संबद्ध गतिविधियों को उप–वर्गीकृत किया हैः (i) 25 kW तक, और (ii) 25 kW से अधिक और 75 kW तक और (iii) 75 kW से ऊपर।

   इसके अलावा, आयोग ने आरटीएस–4ए की टैरिफ अनुसूची के तहत "चॉफ कटर, थ्रैशर, केन क्रशर और rice huller तक सीमित आकस्मिक कृषि प्रक्रियाओं" को शामिल करने को मंजूरी दी है।

q) आयोग ने घरेलू श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार में 4% तथा प्रीपेड मीटरिंग योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 3% की छूट को मंजूरी दी है तथा यह छूट केवल प्रीपेड मीटर की स्थापना तथा संचालन के पश्चात ही लागू होगी।

यदि बिजली प्रीपेड मीटर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, तो कोई सुरक्षा जमा लागू नहीं होगी। आयोग ने एकल फेज कनेक्शन के लिए रू0 5000/– तथा तीन फेज कनेक्शन के लिए रू0 10,000/– की सामग्री सुरक्षा जमा सहित सुरक्षा जमा को छूट दी है। मौजूदा प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए पहले से जमा की गई सुरक्षा राशि प्रीपेड रिचार्ज में समायोजित की जाएगी।

r) आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का शुल्क रू0 7.65 / kWh रखा है, जो औसत आपूर्ति लागत रू0 7.66 / kWh से कम है।

s) उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित पूरी बिजली का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने रू0 0.36 / kWh की दर से ग्रीन टैरिफ को मंजूरी दी है, जो मानक अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त देय होगा।

t) उपभोक्ताओं की श्रेणी के टैरिफ में सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप औसत बिलिंग दर में निम्नलिखित वृद्धि हुई है:

तालिका–2 : वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु औसत बिलिंग दर में वृद्धि

श्रेणी	पिछले वर्ष के टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024 के सापेक्ष औसत बिलिंग दर	संशोधित औसत बिलिंग दर (रुपये / किलोवाट)	पिछले वर्ष के टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024 के सापेक्ष औसत बिलिंग दर में वृद्धि	पिछले वर्ष के टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024 के सापेक्ष औसत बिलिंग दर में प्रतिशत वृद्धि
घरेलू	5.83	6.16	0.33	5.66%
अघरेलू	8.45	8.87	0.42	4.97%
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी	8.38	8.81	0.42	5.02%
पीटीडब्ल्यू	2.66	2.86	0.21	7.82%
एल0टी0 इंडस्ट्रीज	7.87	8.23	0.36	4.61%
एच0टी0 इंडस्ट्रीज	7.78	8.24	0.46	5.91%
मिक्स लोड	7.46	7.86	0.40	5.37%
रेलवे	7.33	7.79	0.46	6.26%
EV चार्जिंग स्टेशन	7.00	7.65	0.65	9.29%

u) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2025 से अनुमोदित फुटकर टैरिफ दरों का विवरण निम्नवत् है:–

वर्तमान टैरिफ (टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2024), यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ एवं आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए श्रेणीवार अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0–1: घरेलू प्रभार

तलिका 3 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0–1: घरेलू						
1.1	लाईफ–लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 18/Connection	Rs. 1.84/kWh	Rs. 18/Connection	Rs. 1.85/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	• Upto 1 kW-Rs. 75/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 85/ kW/ month • Above 4 kW-Rs. 100/kW/ month	Rs. 3.40/kWh	• Upto 1 kW-Rs. 84/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 95 /kW/month • Above 4 kW-Rs. 112/kW/ month	Rs. 3.81/ kWh	• Upto 1 kW-Rs. 75/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 85/ kW/ month • Above 4 kW-Rs. 100/kW/ month	Rs. 3.65/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह		Rs. 4.90/kWh		Rs. 5.48/ kWh		Rs. 5.25/kWh
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह		Rs. 6.70 /kWh		Rs. 7.50/ kWh		Rs. 7.15 /kWh
(iv)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह		Rs. 7.35/kWh		Rs. 8.23/ kWh		Rs. 7.80/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 120/kVA	Rs. 7.00/kVAh	Rs.135/kVA	Rs. 7.88/ kVAh	Rs. 120/kVA	Rs. 7.50/kVAh

आर0टी0एस0–1ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 4 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित						
1.	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.97/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.85/kWh
2.	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.97/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.85/kWh
3.	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.60/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 2.93/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.75/kWh
4.	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.80/kWh	Rs. 34/ Connection	Rs. 4.28/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 4.00/kWh

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 5 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि						
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 90/ kW	Rs. 5.70/ kWh	Rs.101/kW	Rs 6.42/kWh	Rs. 90/ kW	Rs. 6.00/ kWh
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 100/ kVA	Rs. 5.50/ kVAh	Rs. 113/kVA	Rs 6.19 /kVAh	Rs. 100/ kVA	Rs. 5.85/ kVAh
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता						
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 90 / kW	Rs. 5.40/ kWh	Rs 107 /kW	Rs.6.08 /kWh	Rs. 90 / kW	Rs. 5.75/ kWh
2.2	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 110 / kW	Rs. 7.35/ kWh	Rs. 124 /kW	Rs. 8.27 /kWh	Rs. 110 / kW	Rs. 7.75/ kWh
2.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 115 / kVA	Rs. 7.35/ kVAh	Rs. 130 /kVA	Rs. 8.27/kVAh	Rs. 115 / kVA	Rs. 7.80/ kVAh
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूति	Rs. 130 / kVA	Rs. 7.35/ kVAh	Rs. 154/ kVA	Rs. 8.27 /kVAh	Rs. 130 / kVA	Rs. 7.80/ kVAh
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 140/ kW	Rs. 8.20/kWh	Rs. 158/ kW	Rs 9.23/kWh	Rs. 140/ kW	Rs. 8.60/kWh

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़

तलिका 6 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी (मीटर्ड)	Rs. 130/kVA	Rs. 7.45/ kVAh	Rs. 146/kVA	Rs. 8.39/ kVAh	Rs. 130/kVA	Rs. 7.85/ kVAh
ग्रामीण (मीटर्ड)	Rs. 120/kVA	Rs. 7.45/ kVAh	Rs. 135/kVA	Rs. 8.39/ kVAh	Rs. 120/kVA	Rs. 7.85/ kVAh

आर0टी0एस0–4/4ए : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 7 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–4: निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स						
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.55/ kWh	Nil	Rs. 2.68/ kWh	Nil	Rs. 2.70/ kWh
आर0टी0एस0–4ए: कृषि सहयोगी सेवायें						
(Upto 25 kW)	Nil	Rs. 3.60/ kWh	Nil	Rs. 3.78/ kWh	-	Rs. 3.80/kWh
(Above 25 kW & upto 75 kW)					Rs. 75/kVA	Rs. 3.80/kVAh
Above 75 kW					Rs. 100/kVA	Rs. 4.00/kVAh

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 8 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-5: इंडस्ट्री						
एलटी इंडस्ट्रीज						
1. अनुबंधित भार 75 किलोवॉट तक	Rs. 185/ kVA	Rs. 5.40/ kVAh	Rs. 185/ kVA	Rs. 6.08/ kVAh	Rs. 185/ kVA	Rs. 5.75/ kVAh

तालिका 9 : एचटी इंडस्ट्रीज के लिए मौजूदा, प्रस्तावित एवं स्वीकृत टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVAh)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	**88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज**							
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	6.00	Rs. 410/ kVA of the billable demand	6.75	Rs. 461/kVA of the billable demand	6.45	Rs. 410/ kVA of the billable demand
		Above 40%	6.40		7.20		6.85	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	6.00	Rs. 480/ kVA of the billable demand	6.75	Rs. 540/kVA of the billable demand	6.45	Rs. 480/ kVA of the billable demand
		Above 40%	6.40		7.20		6.85	

आर0टी0एस0-6: मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तालिका 10 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार						
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 150/kVA	Rs. 6.90/ kVAh	Rs. 169/kVA	Rs. 7.77/ kVAh	Rs. 150/kVA	Rs. 7.30/ kVAh

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 11 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 330/kVA	Rs. 6.60/ kVAh	Rs. 392/kVA	Rs. 7.43/ kVAh	Rs. 330/kVA	Rs. 7.05/ kVAh

आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्

तालिका 12 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस् हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्	--	Rs. 7.00/ kWh	--	Rs. 7.35/ kWh	--	Rs. 7.65/ kWh

****